संख्या- 45 /2019 / 3131 /चार-2018

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2019**

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षा के दृष्टिगत संग्रहालय में लगे पुराने सी.सी.टी.वी. कैमरे के स्थान पर नये एच. डी. व नाइट विजन कैमरे आवश्यक एसेसरीज सहित प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1486/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2018-19 दिनांक 14 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षा के दृष्टिगत संग्रहालय में लगे पुराने सी.सी.टी.वी. कैमरे के स्थान पर नये एच. डी. व नाइट विजन कैमरे आवश्यक एसेसरीज सहित प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-193/78-2-2015-25-आई0टी0/2001 दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा नामित संस्था उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0 (यू0पी0डेस्को) गोमती नगर, लखनऊ को प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 59.91 लाख (रूपये उनसठ लाख इक्यानवे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था- यू0पी0 डेस्को को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग वास्तविक व्यय के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- प्रोप्राइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- निदेशक, संग्रहालय निदेशालय से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

8- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

10- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या - 45 /2019 / 3131 /चार-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3 - निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
4 - आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5 - प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 डवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।